

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p><b>प्रार्थी</b></p> <p>1. गंगा पुत्र कला जाति मेघवाल निवासी हुसैन का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।</p>	<p><b>बनाम</b></p>	<p><b>विप्रार्थीगण</b></p> <p>1. मिरगो पत्नी सोना 2. मरेमी पत्नी लाला 3. जेटाराम 4. धीराराम 5. नरसिंगाराम पि. नारायणराम 6. तीजो पत्नी नारायणराम जातियान मेगवाल निवासी हुसैन का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 7. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।</p>
--	--------------------	--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।  
राजस्व आवेदन संख्या 114/2022 दिनांक : 16.09.2022

## आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सारला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सारला के मौजा हुसैन का तला के खेत खसरा संख्या 429/328 रकबा 2.3472 हैक्ट. व खसरा संख्या 430/328 रकबा 4.9372 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/भू.अ./2022/

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी गंगा पुत्र कला।
3. विप्रार्थीगण मिरगो पत्नी सोना वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना।

*(Signature)*  
(रामजी भाई कलबी)  
उपखण्ड अधिकारी  
O/ सेड़वा  
12/9/22 (OCS)  
12/9/22 (SDO) सेड़वा

*(Signature)*  
उपखण्ड अधिकारी  
O/ सेड़वा  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) सेड़वा



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 114/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

## गंगा बनाम मिरगो वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.एस.

प्रार्थी वकील - ज्येष्ठ कुमार

## निर्णय

दिनांक - 16.09.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सारला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सारला के मौजा हुसैन का तला के खेत खसरा संख्या 429/328 रकबा 2.3472 हैक्ट. व खसरा संख्या 430/328 रकबा 4.9372 हैक्ट किस्म बरानी सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सारला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सारला के मौजा हुसैन का तला के खेत खसरा संख्या 429/328 रकबा 2.3472 हैक्ट. व खसरा संख्या 430/328 रकबा 4.9372 हैक्ट. किस्म बरानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरे की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावे एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।



(रामजी भाई कलबी)  
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) सेड़वा